

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), टिमरनी,जिला हरदा

पत्र क्रमांक 3804/खाद्य/दुकान आवंटन/2024

टिमरनी दिनांक 26/09/2024

"प्रेस विज्ञप्ति"

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बेवसाईट <https://rationmitra.nic.in/NewShop> पर दुकान आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन किए जा रहे है। दुकानों के आवेदन किये जाने हेतु

(01) म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (01) के अंतर्गत वर्गीकृत

- उपभोक्ता सोसाइटी
- विपणन सोसाइटी
- उत्पादक सोसाइटी
- संसाधन सोसाइटी
- बहुप्रयोजन सोसाइटी

(02) महिला स्व-सहायता समूह (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत)

(03) संयुक्त वन प्रबंधक समिति/संस्थाओ

उपर्युक्त समिति/ संस्थाओ से जिले के टिमरनी अनुविभाग अंतर्गत उचित मूल्य दुकान हेतु ग्राम पंचायत गुल्लास हेतु आवेदन दिनांक 27/09/2024 से 06/10/2024 तक आमंत्रित किये जा रहे है।

संस्थाये अपने आवेदन ऑनलाइन कर इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, टिमरनी में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं दुकान आवंटन अधिकारी
टिमरनी, जिला-हरदा
टिमरनी

पत्र क्रमांक 3865/खाद्य/दुकान आवंटन/2024
प्रतिलिपि :-

टिमरनी दिनांक 26/09/2024

1. कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा)हरदा की ओर सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विभाग विकासखण्ड टिमरनी उपयुक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए स्व. सहायता समूहों को आवेदन किए जाने हेतु निर्देश जारी करे।
3. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला-हरदा की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
4. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, टिमरनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं दुकान आवंटन अधिकारी
टिमरनी, जिला-हरदा
टिमरनी